

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर ।
क्रमांक: 7291 / सामान्य/ समाचि/ 2018/ दिनांक: 23/06/18

कार्यालय आदेश

राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में दिनांक 11.06.18 को प्रकाशित समाचार शीर्षक "पर्ची पर लिखे इंप्लांट वाले के नंबर" के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत् निम्नांकित चिकित्सकों के समिति का गठन किया जाता है।

1. आचार्य एवं विभागाध्यक्ष ओर्थोपेडिक विभाग, समाचि ।
2. डॉ महेश बंसल आचार्य ओर्थोपेडिक विभाग, समाचि ।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी मेडिकल स्टोर, समाचि ।

उक्त समिति अपनी रिपोर्ट तीन दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगी ।

चिकित्सा अधीक्षक १/८

क्रमांक: 7291/ सामान्य/ समाचि/ 2018

दिनांक: 23/06/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. आचार्य एवं विभागाध्यक्ष ओर्थोपेडिक विभाग, समाचि ।
2. डॉ महेश बंसल आचार्य ओर्थोपेडिक विभाग, समाचि ।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी मेडिकल स्टोर, समाचि ।


चिकित्सा अधीक्षक
al
moni

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर ।
क्रमांक: ८५५६ / शिकायत निवारण / समाचि / 2018 दिनांक: १६/६/१८

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 7291 दिनांक 23.6.18 के द्वारा राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में दिनांक 11.06.18 को प्रकाशित समाचार शीर्षक "पर्ची पर लिखे इंप्लांट वाले के नंबर" के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत चिकित्सकों की समिति का गठन किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुये आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अस्थि रोग विभाग के स्थान पर डॉ० नरेन्द्र सैनी, सहायक आचार्य, अस्थि रोग विभाग को समिति में सम्मिलित किया जाता है। फलस्वरूप समिति के संयोजक डॉ० महेश बंसल, आचार्य, अस्थि रोग विभाग होंगे।

आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।


चिकित्सा अधीक्षक

क्रमांक: / शिकायत निवारण / समाचि / 2018 दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. आचार्य एवं विभागाध्यक्ष ओर्थोपेडिक विभाग, समाचि ।
2. डॉ० महेश बंसल आचार्य ओर्थोपेडिक विभाग, समाचि ।
3. डॉ० नरेन्द्र सैनी, सहायक आचार्य, अस्थि रोग विभाग, समाचि ।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी मेडिकल स्टोर, समाचि ।


चिकित्सा अधीक्षक